न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टी.ए./3793/2005/झालावाड़

1. मौहम्मद जमील पुत्र अहमद अली
2. मौहम्मद सलीम
3. जाकिर हुसैन
4. मौहम्मद हुसैन पिसरान अहमद अली
5. रईसा बेगम पुत्री अहमद अली
6. सलमा बेगम पुत्री अहमद अली
7. मोबिना बेगम पुत्री अहमद अली
8. ईदाबाई बेवा अहमद अली
   समस्त जाति नीलगरान मुसलमान निवासीयान
   गोल्याखेडी तहसील खानपुर जिला झालावाड़।

............अपीलार्थीगण

बनाम

1. खुशी मौहम्मद
2. शब्बीर मौहम्मद पिसरान ताज मौहम्मद
3. मुबारक अली
4. राजू हुसैन
5. रशीद मौहम्मद पिसरान शकूर मौहम्मद
6. हशमत बाई बेवा शकूर मौहम्मद
7. खातून बेवा ताजमौहम्मद
   समस्त जाति नीलगरान मुसलमान निवासीयान
   खानपुर तहसील खानपुर जिला झालावाड़।

...........प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थित :
श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री मुनीष व्यास अधिवक्ता (ब्रीफ होल्डर) अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण।

––––

<u>निर्णय</u>

दिनांकः– 13 नवम्बर, 2018

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवे पदेनराजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 145/2004 बउनवानी मौहम्मद जमील बनाम खुशी मौहम्मद में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08-7-2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2- इस प्रकरण में अपीलार्थी मौहम्मद जमील की ओर से एक प्रार्थना पत्र दिनांक 09-7-2018 को अतिरिक्त निबंधक (न्याय) राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत हुआ जिसमें उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से निवदेन किया कि इस प्रकरण में पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है, मूल राजीनामा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। सभी पक्षकार उक्त राजीनामा के मुताबिक प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते हैं। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि उक्त राजीनामा विचारण न्यायालय को पत्रावली के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे ताकि तहत् न्यायालय उक्त राजीनामा के अनुसार विधिसम्मत आदेश पारित करें।

विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने भी उक्त राजीनामा से अपनी सहममि व्यक्त की है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की सहमति के अनुसार न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 145/2004 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08-7-2005 तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानुपर द्वारा प्रकरण संख्या 294/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12-8-2004

निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत राजीनामा पर उभय पक्षों को सुनकर विधि अनुसार निर्णय पारित करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष